केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/307 दिनांक: 30.08.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00304
CICOM/R/2016/00807

अपीलकर्ता : सुश्री रजनी देवी, द्वारा – श्री श्रीराम निवास प्रजापति,
मो0 – आदर्श नगर कालोनी, गली नं. 1,
रोजा जं., जिला – शाहजहाँपुर – 242001.
उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख : 29.08.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.02.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	28.06.2016, 30.06.2016, 03.08.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.सी.शर्मा, श्री टी.के.मोहापात्रा, श्री के.एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.07.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	156984/21.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	433/25.07.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम में आयोग को पूर्व में प्रेषित तीन पत्रों जो कि आयोग के आदेश सं. CIC/BS/A/2013/003043/VS/09806, CIC/SM/A/2012/001452/VS तथा CIC/MP/A/2015/000552 के अनुपालन से संबंधित थे, पर की गई कार्रवाई की संबंध में सूचना मांगी थी । उक्त आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2016 को आयोग में डायराइज हुआ, दिनांक 16.06.2016 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ तथा दिनांक 20.06.2016 को आयोग के संबंधित जन सूचना अधिकारियों को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया तथा दिनांक 22.06.2016 को श्री वी.के.चन्डोक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा आवेदन ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने की लिखित सूचना भी दी गई ।

2. प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने श्री वी.के. चन्डोक द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि जन सूचना अधिकारी ने *"बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सूचना हेतु निवेदन लेने से इंकार किया है, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय में सूचना नहीं दी है"* तथा श्री वी.के.चन्डोक के उक्त संदर्भित पत्र के संबंध में एक आपत्ति पत्र भी संलग्न किया है ।

3. प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई दिनांक 29.08.2016 को अपराह्न 02.30 बजे विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की गई । सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री अशोक प्रजापति तथा जन सूचना अधिकारी – श्री ए. के. शर्मा, श्री के.एल.दास, श्री टी.के.मोहापात्रा एवं श्री एस.सी.शर्मा उपस्थित थे ।

4. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री वी.के.चन्डोक के जिस पत्र का उल्लेख अपीलकर्ता द्वारा किया गया है, वह पत्र वस्तुतः केवल उनके आवेदन को ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने की सूचना मात्र है, उस पत्र के माध्यम से आवेदन से संबंधित कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है । अतः अपीलकर्ता का आरोप आधारहीन है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना हेतु निवेदन लेने के इंकार किया गया है, बल्कि जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता के आवेदन को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन मानकर ही आवेदन को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अन्य

जन सूचना अधिकारियों को दिनांक 20.06.2016 को ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया, चूंकि अपीलकर्ता का आवेदन जो कि दिनांक 16.06.2016 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ था, को दिनांक 20.06.2016 को ही ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गया था, अतः अपीलकर्ता की यह आपत्ति की उनके आवेदन को निर्धारित समयावधि में ट्रांसफर नहीं किया गया आधारहीन ही है ।

5. सुनवाई के दौरान उपस्थित श्री एस.सी.शर्मा, जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय ने बताया कि अपीलकर्ता को सूचित कर दिया गया है कि आयोग का आदेश सं. CIC/SM/A/2012/001452/VS जो कि रेल मंत्रालय से संबंधित है तथा कार्य आबंटन के अनुसार रेल मंत्रालय सूचना आयुक्त-बी.जे. को आबंटित किया गया है, अतः संबंधित फाइल उनकी रजिस्ट्री से ट्रांसफर कर दिया गया है । सूचना की प्रतिलिपि के.एल.दास, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय को भी दी गई है ।

6. सुनवाई के दौरान उपस्थित श्री के.एल.दास, जन सूचना अधिकारी ने बताया कि अपीलकर्ता के आवेदन के साथ संलग्न दो पत्र जो कि आयोग के आदेश सं. CIC/BS/A/2013/003043/VS/09806, CIC/SM/A/2012/001452/VS जो कि रेवले से संबंधित है, के संदर्भ में जन सूचना अधिकारी, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली को उक्त आदेश से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया गया है । **श्री के.एल.दास, जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु जन सूचना अधिकारी, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली को पुनः पत्र लिखा जाए ।**

7. श्री टी.के. मोहापात्रा, जन सूचना अधिकारी ने आदेश सं. CIC/MP/A/2015/000552 जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित है, के संबंध में बताया कि जन सूचना अधिकारी, राजष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिनांक 30.11.2015 एवं 24.06.2016 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को स्थिति से अबगत करवा दिया गया है अतः केन्द्रीय सूचना आयोग की तरफ को कोई कार्रवाई लंबित नहीं है । इस संबंध में श्री टी.के. मोहापात्रा द्वारा दिनांक 24.08.2016 के पत्र द्वारा अपीलकर्ता को सूचित भी कर दिया गया है (श्री टी.के.मोहापात्रा के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है) से संबंधित हैं

8. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

9. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री के.एल.दास, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री टी.के. मोहापात्रा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त—एम.पी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
4. श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली